न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–909 / 2026

रौशन कुमार बनाम् बिहार सरकार

देसरी थाना कांड संख्या–52 / 2026

अधीन धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

05-06-2026 देसरी थाना कांड संख्या–52 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–309(4) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **रौशन कुमार उम्र–24 वर्ष पेसर–विपत राय** साकिन–नायागंज, थाना–महनार जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री सुजीत कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, सूचक गॉव–गॉव में घुम–घुमकर गैस चुल्हा एवं कुकर रिपेयर का काम करता है। दिनांक–08.02.2026 को सूचक प्रतिदिन की तरह सुबह लगभग 08.00 बजे अपने मोटरसाईकिल से काम करने हेतु निकला। इसी क्रम में सूचक समय करीब 01.00 बजे दिन में ग्राम पोहियार बुजुर्ग से ग्राम पोहियार की ओर कच्ची रास्ता से जा रहा था कि पिण्डोगी चौक से पहले दो व्यक्ति के द्वारा उसके मोटरसाईकिल को रूकने का इशारा किया गया। वह दोनों व्यक्ति अपना मोटरसाईकिल खड़ा करके रूका हुआ था जिसमें से एक व्यक्ति गाड़ी से उतरकर सड़क पर खड़ा था जो अपने चेहरा पर काला गमछा बांधे था एवं दूसरा व्यक्ति हेलमेट लगाकर गाड़ी पर बैठा था। सड़क पर खड़ा व्यक्ति के द्वारा उसे रूकने का इशारा किया गया। जैसे ही वह रूका और कुछ समझ पाता तब तक गाड़ी से नीचे खड़ा व्यक्ति हथियार सटाकर उसके गाड़ी का चाभी निकाल लिया और बोला कि हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद दोनों मिलकर उसका मोबाईल छीन लिये एवं उसके जेब को चेक करते हुए उसके जेब में रखा तीस हजार रूपया निकाल लिये और दूसरे जेब से उसका पर्स भी निकाल लिये। जिसमें लगभग तीन–चार सौ रूपया, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं कुछ अन्य कागजात थे, उसे भी ले लिये और मोटरसाईकिल पर बैठकर पिण्डोगी चौक के तरफ भाग गये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व महनार थाना कांड

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–909 / 2026

रौशन कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026 सं0–19 / 2024 अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम एवं महनार थाना कांड सं0–60 / 2026 अंतर्गत धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम सह अभियुक्त आदित्य नारायण के संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है और आवेदक का सह अभियुक्त आदित्य नारायण से कोई सरोकार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से लूट का कोई सामाग्री बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम इस मामले के सह अभियुक्त आदित्य नारायण द्वारा लिया गया है जो कि महनार थाना कांड सं0–60 / 2026 में गिरफ्तार हुआ था, जिसमें उसने इस घटना में अपनी तथा आवेदक की संलिप्तता के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि दिनांक–08.02.2026 को वह एक राहगीर से अपने सहयोगी रौशन कुमार (आवेदक) के साथ मिलकर तीस हजार रूपया एवं उसका पर्स लूटा था जिसके पर्स में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड था, जो कांड दैनिकी कंडिका 40 में अंकित है। महनार थाना कांड सं0–60 / 2026 की जप्ती सूची जो इस कांड दैनिकी की कंडिका 45 में दर्शित है, से प्रकट होता है कि अभियुक्त आदित्य नारायण के पास से किशोरी साह जो इस कांड के सूचक है का आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद हुआ है। कांड दैनिकी की कंडिका 44 से विदित होता है कि सूचक द्वारा थाने पर पहुंचकर हुलिया के अनुसार आदित्य नारायण की पहचान किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 45 में ही इस मामले के सह अभियुक्त आदित्य नारायण का संस्वीकारोक्ति बयान अंकित है जो महनार थाना कांड सं0–60 / 2026 में दिया गया है जिसमें भी उसने उक्त कांड के साथ–साथ इस कांड में अपनी तथा रौशन कुमार (आवेदक) की संलिप्तता के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वह और रौशन कुमार (आवेदक) मिलकर रौशन कुमार के पल्सर मोटरसाईकिल से पिस्टल के बल पर दिनांक–08.02.2023 को पिन्दोगी चौक के

Web copy Not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–909 / 2026

रौशन कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026

पास तीस हजार रूपया एवं पर्स जिसमें कुछ छुट्टे पैसे एवं कागजात थे, एक राहगीर से लूट लिए और लूटा हुआ पैसा दोनों आपस में बांट लिये। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08 एवं 22 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी, कांड दैनिकी की कंडिका 104 से विदित होता है कि आवेदक सहित अन्य अभियुक्त के विरूद्व उक्त कांड धारा–309(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सत्य पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 125 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए इस मामले के सह अभियुक्त आदित्य नारायण उर्फ आदित्य ठाकुर के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–309(4) के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व दो कांड लंबित है जिसमें से एक कांड लूट से ही संबंधित है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, आरोप की गंभीरता एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official